

संO-40014/17/प्रशि./2021-22/रा.भा.

114

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

खंड-2, केंद्रीय कार्यालय परिसर

लोदी रोड, नई दिल्ली -03

दिनांक :- 12/2/24

कार्यालय जापन

विषय- वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम " पारंगत" के अधीन प्रस्तावित पुरस्कार लागू करने के संदर्भ में ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे नए पाठ्यक्रम "पारंगत" के अधीन प्रस्तावित पुरस्कार लागू करने संबंधी निर्देशों की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु बल की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

2. कृपया उपर्युक्त एकमुश्त प्रोत्साहन राशि के बारे अद्यतन आदेश अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों को परिचालित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

उप महानिरीक्षक (संगठन)
महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल

सेवा में,

1. समस्त फ्रंटियर मुख्यालय/क्षेत्रीय मुख्यालय(ल.व क.)/प्रशिक्षण परिक्षेत्र भा.ति.सी.पु. बल को अपने नियंत्रणाधीन फॉर्मेशनों में परिचालित कराने के आशय से।
2. आधार/संयुक्त/रेफरल चिकित्सालय व कें.अभि.का. भा.ति.सी.पु. बल।
3. समस्त अनुभाग/शाखाएं महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल।
4. उप सेनानी (आई.टी.सेल) महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल को कृपया बल की वेबसाइट पर विद्यमान राजभाषा फोल्डर में प्राथमिकता पर अपलोड करवाने हेतु।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक(प्रशि.), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ।

उप सेनानी (आई.टी.सेल) / Dy. Comdt. (IT Cell)
अधिसूची No / Diary No. 282
दिनांक / Date 12/2/2024

उप महानिरीक्षक (संगठन)
महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल

S.O (FPP)

D(9) (ITBP)

1555
28-12-20

सं.21034/69/2008-रा.भा.(प्रशि.)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

(1/2)

नई दिल्ली, दिनांक- 21 दिसम्बर, 2020

23 DEC 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय - वित्तीय वर्ष 2021-2022 से केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम "पारंगत" के अधीन प्रस्तावित मानदेय (पुरस्कार) लागू करने के संबंध में।

केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा "पारंगत" पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण आरंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से "पारंगत" पाठ्यक्रम को व्यापक व लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिकों को पारंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) 55% से 59% अंक प्राप्त करने पर	4000/-रु.
(ख) 60% से 69% अंक प्राप्त करने पर	7000/-रु.
(ग) 70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर	10,000/-रु.

2. उपरोक्त प्रोत्साहन संबंधी वित्तीय खर्च को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को ही वहन करना पड़ेगा।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 17.12.2020 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या 14(2)ई.समन्वय 2015 (1526920) के अनुसार जारी किया जा रहा है।

20/12/20
(आनंद कुमार)
निदेशक (प्रशि.)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

सं. 1049	30/12/20
सं. 1049	30/12/20
सं. 1049	30/12/20
सं. 1049	30/12/20
सं. 1049	30/12/20
सं. 1049	30/12/20
सं. 1049	30/12/20
सं. 1049	30/12/20
सं. 1049	30/12/20
सं. 1049	30/12/20

1049
30/12/20

.....जारी